

कार्यालय जिला कलक्टर, एवम् जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर

www.jaipur.rajasthan.gov.in

क्रमांक: विकास-1/मेडिकल ( ) 2022/35

दिनांक: 5/1/2022

अति-आवश्यक

निर्देशक

जयपुर एयरपोर्ट प्राधिकरण

जयपुर।

विषय:- हवाई जहाज के माध्यम से यात्रा कर जयपुर एयरपोर्ट पर आने वाले यात्रियों को डबल डोज वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट अथवा आगमन से पूर्व यात्रा प्रारम्भ करने के 72 घण्टे के अन्दर करवाई गई आरटी-पीसीआर नेगेटिव जांच रिपोर्ट के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि प्रदेश में कोविड-19 के नये वेरियंट ओमिक्रोन से संक्रमण के लगातार बढ़ते मामलों को देखते हुए इसके प्रभावी नियंत्रण एवं रोकथाम हेतु तथा इसके प्रभाव को न्यूनतम करने के लिए राज्य सरकार द्वारा समग्र एवं व्यापक रणनीति तैयार की जाकर सभी संभव प्रयास किये जा रहे हैं।

अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह (ग्रुप-7) विभाग के आदेश क्रमांक प.7(1)गृह-7/2021 दिनांक 02.01.2022 द्वारा अतिरिक्त सतर्क-सावधान, जन-अनुशासन दिशा-निर्देश प्रदान किये गए हैं कि हवाई जहाज के माध्यम से यात्रा कर जयपुर एयरपोर्ट पर आने वाले यात्रियों को डबल डोज वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट अथवा आगमन से पूर्व यात्रा प्रारम्भ करने के 72 घण्टे के अन्दर करवाई गई आरटी-पीसीआर नेगेटिव जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। यदि कोई यात्री डबल डोज वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट/आरटी-पीसीआर नेगेटिव जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने में असमर्थ रहता है, तो गन्तव्य पर आरटी-पीसीआर जांच करवाना अनिवार्य होगा। आरटी-पीसीआर जांच रिपोर्ट नेगेटिव आने तक सम्बन्धित यात्री को 7 दिवस के लिए संस्थागत/होम क्वारन्टीन किया जावेगा।

अतः उक्त सम्बन्ध में लेख है कि सभी एयर लाईन्स को पाबन्द करें कि जयपुर आने वाले सभी यात्रियों को डबल डोज वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट अथवा यात्रा प्रारम्भ के 72 घण्टे के अन्दर करवाई गई आरटी-पीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर ही बोर्डिंग की इजाजत दे एवं जयपुर एयरपोर्ट पर राज्य सरकार द्वारा जारी उक्त आदेश की पूर्ण रूपेण पालना कराया जाना सुनिश्चित करें।

(अन्तर सिंह नेहरा)

जिला कलक्टर

जयपुर

क्रमांक: विकास-1/मेडिकल ( ) 2022/36

दिनांक: 5/1/2022

प्रतिलिपि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जयपुर प्रथम/द्वितीय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

जिला कलक्टर

जयपुर

5/1/22